

वि०म / फूलक 13

नव 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र
--------	------------

8.6.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट पर पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.7.23 को पेश हो।

28.7.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट पर पीठासीन अधिकारी महोदय आज 28.7.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 26.9.23 को पेश हो।

28.9.23

पत्रावली पेश 1 पत्रावली 01/12/23 को देखा गया दिनांक 28.10.23 को पेश हो।

28/10/23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट पर पीठासीन अधिकारी महोदय आज 28.10.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 25.11.23 को पेश हो।

25.11.23

पत्रावली पेश वकील अपील/रेस्पोंडेंट को पूर्व पेपी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से होन रेस्पोंडेंट को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील/रेस्पोंडेंट को रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/रेस्पोंडेंट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/रेस्पोंडेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फसल शुम्भर होकर नम्बर से कम होकर बाव तरीब तकमील दाखिल दफतर हो।

शु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुञ्झनू)

